3.6.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण वारिशान की तामिल हेतु नियत है वादी अधिवक्ता द्वारा सम्मन पेश नहीं किया गया है तथा नाहीं स्वयं उपस्थित हुए है जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहते है। वादी अधिवक्ता को रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहते है।

अत: वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी- अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।

(रिया ऽबी)
IAS